यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, सिचाई खंड, देहरादून के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, सिचाई खंड, देहरादून के माह 08/2018 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 12/1/2021 से 16/1/2021 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शरत श्रीवास्तव, स॰ले॰प॰अ॰ एवं श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 6/08/2018 से दिनांक 18/08/2018 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2012 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2018 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य/अनुरक्षण के कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला - देहरादून के अंतर्गत विकास खंड रायपुर, डोईवाला, सहसपुर है एवं जिला हरिद्वार के विकास खंड बाहदराबाद, भगवानपुर, लक्सर, खानपुर, रुड़की, नारसन।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**शासन को समर्पित राशि / अवशेष**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**स्थापना (समर्पित)**	**गैर स्थापना (अवशेष)**
2017-18		-	275.69	258.68	297.90	185.84		
2018-19		-	294.10	263.90	295.42	167.60		
2019-20		-	50.43	47.90	113.68	75.84		
2020-21 (12/20 तक)		-	34.90	14.90	891.63	511.20		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त `**	**व्यय `**	**बचत (-) /अधिक्य (+)**
2017-18	पी एम जी एस वाई		261.32	152.64	
2018-19	,,		295.15	132.50	
2019-20	,,		72.26	64.60	
2020-21	,,		871.03	511.20	

(i) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "सी " है।

(ii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1)सचिव, उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास विभाग।

(2)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई उत्तराखंड।

तकनीकी संवर्ग मे:

(3) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) (4) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र,

(5) मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, (6) अधीक्षण अभियंता, मसूरी

(7) अधिशासी अभियंता (8) सहायक अभियंता (9) कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1)वित्त नियंत्रक (2)खंडीय लेखाकार (3)सहायक लेखाधिकारी (4)प्रशासनिक अधिकारी (5)लेखाकार (6)प्रधान सहायक (7) वरिष्ठ सहायक (8)कनिष्ठ सहायक।

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, सिचाई खंड, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, सिचाई खंड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2020 एवं 11/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तथा सोडा-सरोली से अखंडवाली भिलांग मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में शून्य निरीक्षण किया गया।
5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई ।
6. फार्म 51: माह 12/2020 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेसित नहीं किया गया है ।

   भाग प्रथम ... शून्य

   भाग द्वितीय .... शून्य

7.खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ..12/2020 के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम... शून्य

   (ख) सामग्री क्रय....शून्य

   (ग) नगद परिशोधन....शून्य

   (घ) निक्षेप.... रु 18.50 लाख

   (ङ) भण्डार....शून्य

भाग 2 (ब)

प्रस्तर -1 ठेकेदारो की अदावाकृत जमानत राशि `18.50 लाख को राजस्व के रूप में जमा न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षो तक अदावाकृत ठेकेदारों की जमानत राशि को ठेकेदारों द्वारा मांग नहीं किए जाने पर व्यपगत जमा के रूप मे राज्य सरकार को राजस्व के रूप मे जमा की जानी चाहिए थी परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि मासिक लेखा 12/2020 के फार्म डिपॉजिट भाग 2 के अनुसार धनराशि `18,50,197.00 अदावाकृत राशि के रूप मे तीन वर्षो से अधिक समय से लंबित प्रदर्शित हो रही है, इस राशि को राजस्व के रूप मे जमा भी नहीं किया गया था न ही ठेकेदारो को वापस किया गया था एवं खंड स्तर पर भी राशि उपलब्ध नहीं थी, वर्तमान मे यह राशि किस रूप मे रखी गयी है इस राशि की एफ़॰डी॰आर॰ है या बैंक मे रखा गया है यदि इस राशि को व्यय किया गया है तो इस संबंध मे भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। डिपॉजिट पार्ट-2 पंजिका लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस कारण से यह अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है कि यह राशि खंड को कब प्राप्त हुई थी। उपरोक्त सभी बिन्दुओ को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये अपने उत्तर मे अवगत कराया कि- शासन से पत्राचार कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अपूर्ण अभिलेखो के बारे मे बताया गया कि तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि राशि को ठेकेदारो को वापस किया जाना था या व्यपगत जमा मे होना चाहिए था। अत: `18.50 लाख ठेकेदारो की अदावाकृत जमानत राशि राजस्व के रूप मे जमा नहीं किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर- 2 अपूर्ण कार्य पर `128.15 लाख का अनियमित व्यय।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-06 के प्रावधान नियम 378 के अनुसार बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए इसी प्रकार पी०एम०जी०एस०वाई० दिशा निर्देश पुस्तिका 2015 के नियम 6.12 व 9.3 के अनुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -12 के अंतर्गत संख्या यू टी -05-11 के अनुसार सोडा-सरोली से अखंडवाली भिलांग मोटर मार्ग स्टेज-1 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार का पत्र संख्या 3378 पी1-26(xii)यू॰आर॰आर॰डी॰ए॰/14 दिनांक 05.03.2014 के द्वारा 8.300 किमी नई सड़क निर्माण हेतु `422.72 लाख की प्राप्त हुई थी इस के अतिरिक्त `77.06 लाख राशि का प्रावधान भूमि अधिग्रहण व वनीकरण के लिए किया गया था । इस राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना था यह निर्माण कार्य दिनांक 27/11/18 को प्रारम्भ हुआ एवं दिनांक 26/2/2020 तक पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि-

1. स्वीकृत राशि `422.72 लाख के सापेक्ष `128.15 लाख राशि व्यय की गयी थी।
2. `77.06 लाख प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया था।
3. 6.698 हेक्टेयर भूमि बिना अधिग्रहण किए कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। स्टेज-1 का निर्माण कार्य पूर्ण हुये बिना स्टेज-2 निर्माण हेतु अनुबंध का गठन किया गया था।
4. ठेकेदार द्वारा कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी बैंक गारंटी `10.60 लाख एवं `10.94 लाख की वैधता अवधि समाप्त हो गयी थी जबकि नियमानुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने तक बैंक गारंटी को वैध होना चाहिए था।
5. अनुबंध के अनुसार दिनांक 26/2/2020 तक निर्माण पूर्ण किया जाना था परंतु लेखापरीक्षा तिथि तक निर्माण कार्य अपूर्ण थे। ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।
6. एस॰बी॰डी॰ 2015 के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान होने वाली आकस्मिक क्षति के लिए कार्य का बीमा कराया नहीं कराया गया था।
7. निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के लिए ठेकेदार पर कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था।

उपरोक्त बिन्दुओ के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि प्रतिकर/मुआवजे की राशि का भुगतान स्टेज-1 निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद किया जाएगा, स्टेज-1 के पूर्ण हुये बिना ही स्टेज-2 का अनुबंध का गठन कर दिया गया था इस संबंध मे बताया कि- अनुबंध का गठन यू॰आर॰आर॰डी॰ए॰ द्वारा किया जाता है एवं बैंक गारंटी की वैधता अवधि बढाने के लिए ठेकेदार से पत्राचार किया जाएगा। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि उपरोक्त नियमो का पालन किया जाना अनिवार्य था।

अत: अपूर्ण कार्य पर अनियमित रूप से `128.15 लाख धनराशि व्यय किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर -3 निर्माण कार्यो से संबंधित बिना प्रणाम पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 के अनुसार The Contractor at his cost shall provide insurance cover from the Start Date to the date of completion for following risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials; (b) loss of or damage to Equipment; (c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and(d) Personal injury or death.

Further the Insurance policies and certificates for insurance was to be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.

The Contractor at his cost was also to provide insurance cover from the date of completion to the end of Defects Liability Period.

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- निम्नलिखित कार्य निर्माणाधीन है परंतु बीमा नहीं कराया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न नहीं पाये गए थे। तथा यदि ठेकेदार ने बीमा नहीं कराया तो विभाग द्वारा ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कटौती करके बीमा किया जाना चाहिए था ।

(` लाख मे)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	रुड़की लक्सर मोटर रोड मोहम्मदपुर बुजुर्ग लाडपुर मोटर रोड	233.64	70.78
2	मंगलोर झबरेड़ा मोटर रोड	121.04	79.21
3	सोडा-सरोली से अखंडवाली भिलांग मोटर मार्ग	422.73	98.15
4	लैम्बग्रांट से बनदेरचूड मोटर मार्ग	266.50	182.97
	कुल `	1043.91	431.11

अत: खण्ड द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यो के सापेक्ष बीमा प्रमाण पत्र उपलब्ध न करवाए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः4 ठेकेदार पर `12.96 लाख कम अर्थदण्ड अधिरोपित कर, ठेकेदार को अदेय लाभ पहुंचाना ।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना दिशानिर्देश के प्रस्तर 13.1(i) के अनुसार सडकों हेतु कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 12 माह की अवधि के भीतर **तथा** 13.1(iii) के अनुसार पहाडी सडकों हेतु कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यदि समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो प्रस्तर 13.1(v) में प्रावधानित किया गया है कि विलम्ब की दशा में ठेकेदार के विरुद्व अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ठेकेदार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करने में विफल होता है तो उस अनुबन्ध में शस्ति लगाकर उसे निष्कासित किया जाना चाहिए एवं अवशेष कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से करवाया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज XV के अन्तर्गत जनपद देहरादून में गैडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग लम्बाई 2.32 किमी. के स्टेज-I & II के निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 2996/पी.-1-33/यू॰आर॰डी॰ए॰/17 दिनाँक 27/07/2017 द्वारा मार्ग के नवनिर्माण तथा पाँच वर्षों के रख-रखाव हेतु `165.67 लाख (`151.05+`14.62) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। समान राशि की प्राविधिक स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, लो०नि०वि०, वृत मसूरी द्वारा प्रदान की गयी। प्रश्नगत कार्य के निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रण कर न्यून्तम निविदा दाता मै0 रोकी कुमार कंस्ट्रक्शन मुज्जफरनगर के साथ ` 152.42 लाख का अनुबंध संख्या 137/CE-URRDA/2018-19 दिनांक 20.01.2019 को गठन किया गया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 01.02.2019 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 31.07.2019 निर्धारित की गई थी।

किन्तु जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य मे ठेकेदार द्वारा प्रारम्भ से ही रुचि न लेने के कारण कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी, अनुबंध के GCC क्लाज मे निर्धारित समय के अनुसार 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन खण्ड द्वारा ठेकेदार को बार-बार पत्र लिखने के बाद भी कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के 17 माह बाद भी कार्य की प्रगति शून्य थी। न ही कार्य से संबन्धित सब डिवीजन द्वारा कोई बिल खण्ड मे प्रस्तुत किया गया था । ठेकेदार को बार-बार निर्देशित किए जाने के बाद भी उसके द्वारा यथा समय कार्य पूर्ण नहीं करने पर अनुबंध की GCC के क्लाज 44.1 एवं contract data के अनुसार कार्य में विलम्ब के लिये अनुबन्ध लागत का 01 प्रतिशत प्रति सप्ताह तथा अधिकतम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड `15.24 लाख अधिरोपित किया जाना था। किन्तु दिनांक 04.01.2021 को संबन्धित ठेकेदार को 1.5 प्रतिशत अर्थात `2.28 लाख अर्थदण्ड के साथ दिनांक 31.03.2021 तक की समयवृद्धि स्वीकृत कर दी गयी थी। जबकि अभिलेखों से स्पष्ट था कि ठेकेदार द्वारा कार्य में विलम्ब जानबूझकर किया जा रहा था। इसके बाद भी ठेकेदार को समय विस्तार 1.50% अर्थदण्ड के साथ दिया गया था। जबकि नियमानुसार 10% अर्थदण्ड अधिरोपित/कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार विभाग द्वारा ठेकेदार को ` 12.96 लाख का लाभ पहुँचाया गया।

साथ ही अनुबन्ध मे संलग्न स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1 के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, व्यक्तिगत चोटे और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। उक्त कार्य हेतु गठित अनुबन्ध की जांच मे पाया गया कि स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही विभाग द्वारा उसके विरुध्द कोई कार्यवाही की गयी।

इस संबंध में इंगित करने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य समय से पूर्ण नही किया जा सका। इन्शोरेंस हेतु ठेकेदार से पत्राचार किया जाएगा।
सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधिशासी अभियंता के पत्रो से स्पष्ट है कि उक्त ठेकेदार को बार-बार निर्देशित करने के बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य मे कोई रुचि नही ली गयी थी, जिसके कारण कार्य मे विलम्ब हो रहा था एवं उक्त मार्ग मे वन भूमि प्रकरण भी वर्ष 2019 मे समाप्त हो गया था इसके बावजूद कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति नगण्य थी। जिसके लिए ठेकेदार पर नियमानुसार 10 प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना चाहिए था। साथ ही कार्य स्वीकृति के 3 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी संबन्धित ग्रामवासी सड़क के लाभ से वंचित थे। ठेकेदार द्वारा नियमानुसार इन्शोरेंस भी नही कराया गया था।
अत: प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 (ब)</u>

प्रस्तर- 5 : *रु 1,06,990/- जी.एस.टी. (TDS) की कटौती न किया जाना।*

वितीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 11 के प्रस्तर 81 एवं 82 यह प्राविधानित करता है कि विभागीय प्राधिकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उचित तरीके से निर्धारित कर, बिना किसी विलंब के शासकीय खाते में डाली जाये।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 192/XXVII/एक/398/2006/18 दिनांक 12.10.2018 के निर्देशानुसार 01 अक्टूबर 2018 के बाद 2.5 लाख से अधिक के होने वाले प्रत्येक भुगतान से आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा 2% जीएसटी (TDS) (1% CGST एवं 1% SGST) की कटौती कर उसे GSTN पोर्टल के माध्यम से बैंक मे जमा किया जाना था।किन्तु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई,सिंचाई खण्ड, देहरादून द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो से संबन्धित निम्न देयकों का भुगतान करते समय 2 प्रतिशत **जीएसटी (TDS) (1% CGST एवं 1% SGST) रु 106990/- की कटौती कर, जमा नही किया गया था**। जबकि देयकों मे ठेकेदार को 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान भी किया गया था।

क्रम संख्या	अनुबंध संख्या	वाउचर संख्या एवं भुगतान की तिथि	देयक की राशि	कटौती योग्य 2% राशि (रु.)
1	40/SE-Pmgsy/2015-16	वाउचर संख्या 01 दि. 04.02.2019	1845242.00[1]	30520.16
2	68/CE-URRDA/2017-18	वाउचर संख्या 01 दि. 31.03.2019	1240704.00[2]	76469.83
योग				**1,06,989.99**

[1] *देयक मे जीएसटी का भुगतान = रु 183121/-*

[2] *देयक मे जीएसटी का भुगतान = रु 458819/*

उक्त प्रकरण को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुये अवगत करवाया गया कि संबन्धित ठेकेदारो के आगामी देयकों से उक्त राशि कि कटौती की कार्यवाही कर ली जायेगी। खंड के उत्तर से ही स्पष्ट है कि उक्त देयको से रु 1,06,990/- की जी॰एस॰टी॰ (टीडीएस) की कटौती नही की गयी।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः 6 मालदेवता से शेरकी सिल्का मोटर मार्ग के `20.89 करोड़ के स्टेज-I & II के अवरुद्ध कार्य।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-XV के अंतर्गत **मालदेवता एवं शेरकी-सिल्का मोटर मार्ग** स्टेज -I की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखंड शासन देहरादून के पत्रांक 2996/ पी1-33/ यू॰आर॰डी॰डी॰ए॰/17 दिनांक 27/07/2017 द्वारा रु 1121.72 लाख की 17.375 किमी लम्बाई हेतु प्राप्त थी।

मुख्य अभियंता (स्तर-2) पी.एम.जी.एस.वाई. उत्तराखण्ड कांवली रोड़ देहरादून के पत्रांक 1837/05(96) यात्रा/ 2018 दिनांकः 24.09.2018 द्वारा प्रेषित संस्तुति के आधार पर उतनी ही राशि प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी। मोटर निर्माण के कार्य को करने हेतु दिनांक 20.11.2019 को अनुबंध सं0 132/CE-यू॰आर॰आर॰डी॰ए॰/2019-20 लागत `1100.30 लाख का गठित किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य आरंभ की तिथि 20.11.2019 एवं समाप्ति की तिथि 20.05.2021 थी।

किन्तु अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, सिंचाई खण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा (01/2021) मे उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त मार्ग के स्टेज-I मे रोड कटिंग, रिटेनिग, ब्रेस्ट वाल एवं पैराफिट आदि तथा स्टेज-II मे जीएसबी,जी-2,जी-3 एवं पीसी का कार्य कराया जाना था। अभिलेखो के अनुसार मार्ग के संरेखण मे 8.3265 हे॰ वन भूमि थी, जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति विभाग को माह 09/2019 को प्राप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य की प्रगति शून्य थी। न ही खंड मे उक्त कार्य से संबन्धित कोई देयक प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद विभाग द्वारा स्टेज-I का कार्य किए बिना ही स्टेज-II हेतु उक्त मार्ग पर रु 967.48 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर, दिनांक 23.12.2020 को स्टेज-II का अनुबन्ध गठित कर दिया गया।

साथ ही स्टेज-I का कार्य पूर्ण करने हेतु खंड द्वारा अभी तक कोई सार्थक प्रयास/कार्यवाही भी नहीं की गयी थी। जिसका परिणाम यह रहा कि आज स्वीकृति के लगभग तीन वर्ष व्यतीत होने के बावजूद सड़क के स्टेज-1 का कार्य अधूरा पड़ा हुआ था। कार्य की कोई मांप नही ली गयी थी, न ही खण्ड मे कोई देयक प्रस्तुत किया गया था। स्थानीय जनता भी मार्ग के लाभ से वंचित थी तथा भारत सरकार से उक्त मार्ग के स्टेज-I एवं स्टेज-II के कार्य हेतु प्राप्त राशि भी अवरुद्ध पड़ी थी।

इसके अतिरिक्त अनुबन्ध मे संलग्न स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1 के अनुसार "ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, ब्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा" का प्रावधान है। उक्त कार्य हेतु गठित अनुबन्ध की जांच मे पाया गया कि स्टैण्डर्ड

बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही विभाग द्वारा उसके विरुध्द कोई कार्यवाही की गयी।

इस संबंध में इंगित करने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य समय से प्रारम्भ नही किया जा सका। इन्शोरेंस हेतु ठेकेदार से पत्राचार किया जाएगा। इन्शोरेंस न करने पर ठेकेदार से वसूली कर ली जाएगी।

सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वन भूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार से माह 09/2019 को प्राप्त हो चुकी थी तथा वन विभाग को `121.55 लाख की राशि भी एक वर्ष पूर्व 01/2020 को प्रेषित की जा चुकी थी। जिसके एक वर्ष बाद भी कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति नगण्य थी। जिससे प्रतीत होता है कि ठेकेदार एवं विभाग द्वारा कार्य मे कोई रुचि नही ली जा रही थी। साथ ही कार्य स्वीकृति के 3 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी संबन्धित ग्रामवासी सड़क के लाभ से वंचित थे। स्टेज-I एवं स्टेज-II हेतु भारत सरकार से स्वीकृत राशि रु 20.89 करोड़ भी अवरुद्ध थी। ठेकेदार द्वारा नियमानुसार इन्शोरेंस भी नही कराया गया था।

अत: प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर- 7 : नियम विरुद्ध वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण कार्मिकों को ₹2.27 लाख का वेतन/ भत्तों का अधिक भुगतान एवं HRR की कुल धनराशि ₹27010/- की कटौती न किए जाने का प्रकरण।

(क) कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड,देहरादूनमें कार्यरतसभी 04 अपर सहायक अभियन्ताओं की सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार श्री विकास बड़थ्वाल, श्री मनोज कृथ्वाल एवं श्री दीपक चन्द रमोला को प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक अनुभाग-2), सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-7504/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-06/प्रोन्नति दिनांक-05.11.2018 के द्वारा एवं श्री अमितजडौदिया को प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक अनुभाग-2), सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 233/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-06/प्रोन्नति दिनांक-11.01.2019 के द्वारा अपर सहायक अभियन्ता का नॉन फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य करते हुए प्रोन्नत किया गया है। कनिष्ठ अभियन्ता (वेतन स्तर-07) से अपर सहायक अभियन्ता (वेतन स्तर-08) के पद पर नॉन फंक्शनल वेतनमान के अंतर्गत प्रतिस्थापित किए जाने पर उक्त सभी कार्मिकों को पदोन्नति के अनुसार वेतनवृद्धि अनुमन्य करते हुए वेतन निर्धारण किया गया है, जबकि शासनादेश संख्या-499/XXX(2)/2015 दिनांक- 17.12.2015 के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के मध्य सृजित अपर सहायक अभियन्ता का पद पदोन्नति का पद नहीं है। इस प्रकार नियम विपरीत वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने के कारण उक्त सभी कार्मिकों को वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने की तिथि (नवंबर 2018) से दिसंबर 2020 तक की अवधि में अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों की धनराशि की गणना की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि	अधिक भुगतान की गयी कुल धनराशि (₹ में)
01.	श्री विकास बड़थ्वाल	अपर सहायक अभियन्ता	15.11.18- 31.12.20	56544
02.	श्री मनोज कृथ्वाल	अपर सहायक अभियन्ता	15.11.18- 31.12.20	56544
03.	श्री अमित जडौदिया	अपर सहायक अभियन्ता	15.11.18- 31.12.20	56544
04.	श्री दीपक चन्द रमोला	अपर सहायक अभियन्ता	15.11.18- 31.12.20	57657

योग-	227289/-

(*अधिक भुगतानित राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना हेतु calculation sheet संलग्न है। उक्त गणना खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी अभिलेखों/ साक्ष्यों एवं कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज मूलवेतन की प्रविष्टियों एवं यथा-समय लागू मंहगाई भत्ते की दरों के आधार पर की गई है।)*

इस प्रकार समय नियमविरुद्ध वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने के कारण दिनांक 15.11.2018 से दिनांक 31.12.2020 तक की अवधि में उक्त सभी कार्मिकों को कुल धनराशि ₹2,27,289/- वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है। उक्त प्रकरण के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की जांच कर पुनः वेतन निर्धारण किया जाएगा। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: नियम विरुद्ध वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण कार्मिकों को ₹2.27 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(ख) खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए वेतन बीजकों की जांच में पाया गया कि श्री संजय सिंह, अधिशासी अभियन्ता को HRA नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में प्रश्न करने पर अवगत कराया गया कि श्री संजय सिंह को नवम्बर 2016 से सरकारी आवास आवंटित है। नियमानुसार उन अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें सरकरी आवास आवंटित हो, के वेतन से शासन द्वारा निर्धारित दर पर HRR की कटौती प्रतिमाह की जानी है, परंतु श्री संजय सिंह के वेतन से उक्त कटौती नहीं की जा रही है। इस प्रकार श्री संजय सिंह द्वारा भवन आवंटन की तिथि से दिसंबर 2020 तक HRR की कुल धनराशि `27010/- (12/2016 से 12/2018 @ `370/-प्रतिमाह+01/2019 से 12/2020 @ `740/- प्रतिमाह) देय है। उक्त धनराशि की कटौती न किये जाने के कारणों के संबंध में प्रश्न करने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: HRR की कुल धनराशि ₹27010/- की कटौती ना किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
86/2018-19	-	1,2	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित कर दी गयी थी।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, सिचाई खंड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

1. सतत् अनियमितताएः शून्य

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री संजय सिंह	अधिशासी अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी.एम.जी. एस.वाई., सिचाई खंड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II/(Non PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित की जाए, विगत संप्रेक्षा से अब तक कोई भी खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध नहीं रहे थे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II (Non-PSU)